अध्याय - I

प्रस्तावना

1.1 इस प्रतिवेदन के संबंध में

अनुपालन लेखापरीक्षा सरकार के व्यय, प्राप्तियों, परिसंपत्तियों एवं दायित्वों से संबंधित लेन-देनों की जांच, यह सुनिश्चित करने के लिए कि क्या भारत के संविधान तथा लागू विधि, नियमों, विनियमों के प्रावधानों, और सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी विभिन्न आदेशों एवं निर्देशों का अनुपालन किया जा रहा है तथा उनकी वैधता, पर्याप्तता, पारदर्शिता, औचित्य, विवेक तथा इच्छित लक्ष्यों को पाने के संदर्भ में उनकी प्रभावशीलता को भी निर्धारित करने से संबंधित है।

लेखापरीक्षा मानकों की आवश्यकता है कि रिपोर्टिंग की अहमियत का स्तर लेन-देनों की प्रकृति, मात्रा और आकार के अनुरूप हो। लेखापरीक्षा के निष्कर्षों से आशा की जाती है कि वह कार्यकारिणी को सुधार कार्यों को लागू करने के साथ-साथ ऐसी नीतियों और निर्देशों को बनाने में सक्षम करे जिससे संगठनों का वित्तीय प्रबंधन सुधरे और इस प्रकार सुशासन में योगदान दें।

यह अध्याय, लेखापरीक्षा की योजना और विस्तार को स्पष्ट करने के अतिरिक्त, वैज्ञानिक एवं पर्यावरण मंत्रालयों/विभागों के व्यय तथा वित्तीय प्रबंधन का संक्षिप्त विश्लेषण करता है। लेखापरीक्षा ने मंत्रालयों में से एक का चयन उसके परिणाम बजट की समीक्षा, यह जाँचने के लिए कि क्या यह निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुरुप है या नही, के लिए किया। अध्याय II से IX, वैज्ञानिक एवं पर्यावरण मंत्रालयों/विभागों तथा उनके अधीन अनुसंधान केन्द्रों, संस्थाओं एवं स्वायत्त निकायों के अनुपालन लेखापरीक्षा से उद्धृत निष्कर्षों/टिप्पणियों को प्रस्तुत करते हैं तथा अध्याय X प्रशासनिक नियंत्रण के उनके प्रशासनिक नियंत्रण के अन्तर्गत आने वाले केंद्रीय लोक उद्यम क्षेत्र (सी.पी.एस.ई.) से संबंधित लेखापरीक्षा निष्कर्षों को शामिल करता है।

1.2 लेखापरीक्षा क्षेत्र

यह प्रतिवेदन उपरोक्त वैज्ञानिक एवं पर्यावरण मंत्रालयों/विभागों तथा सी.पी.एस.ई. समेत उनके अंतर्गत ईकाइयों के संबंध में लेखापरीक्षा निष्कर्षों को समाविष्ट करता है।

1) परमाणु ऊर्जा विभाग (डी.ए.ई.)
2) विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय,
   - **क)** जैव प्रौद्योगिकी विभाग (डी.बी.टी.);
   - **ख)** विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (डी.एस.टी.); तथा
   - **ग)** वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग (डी.एस.आई.आर.)
3) अंतरिक्ष विभाग (डी.ओ.एस.)
4) पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (एम.ओ.ई.एस.), भारत मौसम विज्ञान विभाग सहित
5) पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एम.ओ.ई.एफ.सी.सी.)
6) नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एम.एन.आर.ई.)
7) जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय (एम.ओ.डब्ल्यू.आर.आर.डी. एण्ड जी.आर.)

यह प्रतिवेदन उपरोक्त वैज्ञानिक एवं पर्यावरण मंत्रालयों/विभागों तथा उनके अधीनस्थ/संबद्ध कार्यालयों तथा स्वायत्त निकायों के संबंध में लेखापरीक्षा निष्कर्षों को समाविष्ट करता है।

1.3 लेखापरीक्षा की योजना एवं संचालन

अनुपालन लेखापरीक्षा सी.&ए.जी. द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानकों में शामिल सिद्धांतों एवं प्रथाओं के अनुसार की जाती है। लेखापरीक्षा प्रक्रिया समग्र रूप में मंत्रालय/विभाग/संगठन और प्रत्येक इकाई में किए गए व्यय, कार्रवाईयों का महत्व/जटिलता, प्रत्यायोजित वित्तीय शक्तियों के स्तर, समग्र आंतरिक नियंत्रण के निर्धारण तथा हित धारकों की चिंताओं पर आधारित जोखिम के मूल्यांकन के साथ प्रारंभ होती है। पूर्व लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर भी इस प्रक्रिया में विचार किया जाता है। इस जोखिम मूल्यांकन के आधार पर लेखापरीक्षा की बारंबारता तथा विस्तार का निर्णय किया जाता है। इस जोखिम-मूल्यांकन के आधार पर लेखापरीक्षा करने के लिए एक वार्षिक लेखापरीक्षा योजना बनाई जाती है।

प्रत्येक इकाई की लेखापरीक्षा की समाप्ति के पश्चात, लेखापरीक्षा निष्कर्षों को अंतर्विष्ट करके निरीक्षण प्रतिवेदनों को इकाई के प्रमुख को जारी किया जाता है। इकाइयों से निरीक्षण प्रतिवेदन की प्राप्ति के एक माह के अंदर लेखापरीक्षा निष्कर्षों का उत्तर उपलब्ध करने का अनुरोध किया जाता है। जब भी उत्तर प्राप्त होता है लेखापरीक्षा निष्कर्षों का या तो निपटान कर दिया जाता है या अनुपालन हेतु आगे की कार्रवाई का सुझाव दिया जाता है। इन निरीक्षण प्रतिवेदनों से उत्पन्न होने वाली प्रमुख लेखापरीक्षा निष्कर्षों को, ड्राफ्ट पैरों के रूप में अलग से प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों को उनकी प्रतिक्रिया हेतु जारी किया जाता है तथा लेखापरीक्षा

प्रतिवेदन, जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत किया जाता है, में सम्मिलित करने हेतु तैयार किया जाता है।

2016-17 के दौरान उपलब्ध संसाधनों तथा इकाईयों के जोखिम-मूल्यांकन के आधार पर वैज्ञानिक एवं पर्यावरण मंत्रालयों/विभागों के 465 इकाइयों में से 180 का अनुपालन लेखापरीक्षा किया गया। इसके अतिरिक्त 15 सी.पी.एस.ई. का भी अनुपालन लेखापरीक्षा किया गया।

1.4 बजट और व्यय नियंत्रण

वर्ष 2016-17 और पिछले दो वर्षों के दौरान वैज्ञानिक एवं पर्यावरण मंत्रालयों/विभागों के बजट और व्यय की तुलनात्मक स्थिति को तालिका 1.1 में दर्शाया गया है:

तालिका 1.1 : वैज्ञानिक और पर्यावरण मंत्रालयों/विभागों के बजट और व्यय का विवरण

(₹ करोड़ में)

मंत्रालय/विभाग	2015-16				2016-17				वास्तविक व्यय में हिस्सा	
	बजट अनुमान	वास्तविक व्यय	अव्ययित बजट	बजट अनुमान के प्रतिशत के रुप में अव्ययित बजट	बजट अनुमान	वास्तविक व्यय	अव्ययित बजट	बजट अनुमान के प्रतिशत के रुप में अव्ययित बजट	2015-16	2016-17
1) डी.ए.ई.	17,702.1	16,380.7	1,321.4	7.46	20,105.4	18,238.4	1,867.0	9.29	34.1	32.8
2) डी.बी.टी.	1,625.2	1,554.3	70.9	4.36	1,917.2	1,895.5	21.7	1.13	3.2	3.4
3) डी.एस.टी.	3,861.9	3,658.5	20.3	0.53	4,496.4	4,325.6	170.8	3.80	7.6	7.8
4) डी.एस.आई.आर.	4,038.0	4,028.6	9.4	0.23	4,064.6	4,051.7	12.9	0.32	8.4	7.3
5) डी.ओ.एस.	7,388.2	6,920.0	468.2	6.34	8,344.4	8,040.0	304.4	3.65	14.4	14.5
6) एम.ओ.ई.एस.	1,622.7	1,328.3	294.4	18.14	1,675.5	1,464.2	211.3	12.61	2.8	2.6
7) एम.ओ.ई.एफ.सी.सी.	2,122.7	2,024.7	98.0	4.62	3,518.3	3,360.3	158.0	4.49	4.2	6.0
8) एम.एन.आर.ई.	4,303.3	4,244.8	58.5	1.36	9,997.8	7,754.1	2,243.7	22.44	8.8	14.0
9) एम.ओ.डब्ल्यू.आर.आर. डी.एंड जी.आर.	9,272.9	7,906.9	1,366.0	14.73	8,815.5	6,427.3	2,388.2	27.09	16.5	11.6
कुल	**51,936.9**	**48,046.7**	**3,707.1**	**7.14**	**62,935.1**	**55,557.1**	**7,378.0**	**11.72**	**100.0**	**100.0**

स्रोतः संबंधित वर्षों के विनियोग लेखे

बी.ई. तथा ए.ई. बजट अनुमान तथा वास्तविक व्यय क्रमशः दर्शाते हैं।

वर्ष 2016-17 के दौरान भारत सरकार के वैज्ञानिक और पर्यावरण मंत्रालयों/विभागों का कुल व्यय वर्ष 2015-16 के व्यय ₹ 48,046.7 की तुलना में ₹ 55,557.1 करोड़ था यानी ₹ 7,510.4 करोड़ (15.6 प्रतिशत) वृद्धि है। वैज्ञानिक और पर्यावरण मंत्रालयों/विभागों द्वारा वर्ष 2016-2017 में कुल व्यय ₹ 55,557.1 करोड़ में से

32.8 प्रतिशत डी.ए.ई. द्वारा किया गया, तत्पश्चात डी.ओ.एस. तथा एम.एन.आर.ई. (14.5 प्रतिशत तथा 14.0 प्रतिशत क्रमशः) थे।

एम.ओ.डब्ल्यू.आर.आर.डी. एंड जी.आर. के अलावा सभी वैज्ञानिक और पर्यावरण मंत्रालयों/विभागों के वास्तविक व्यय में वर्ष 2015-16 की तुलना में वर्ष 2016-17 में 82.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई। पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2016-17 के दौरान एम.एन.आर.ई. (82.7 प्रतिशत), एम.ओ.ई.एफ.सी.सी. (66 प्रतिशत) तथा डी.बी.टी. (22 प्रतिशत) के व्यय में उल्लेखनीय वृद्धि थी, जबकि एम.ओ.डब्ल्यू.आर.आर.डी. एंड जी.आर. के व्यय में पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2016-17 के दौरान 18 प्रतिशत की सुस्पष्ट कमी थी।

₹ 62,935.1 करोड़ के कुल बजट आवंटन के संदर्भ में, वैज्ञानिक एवं पर्यावरण मंत्रालयों/विभागों की कुल बचत वर्ष 2015-16 के सात प्रतिशत के कुल बचत के विरूद्ध ₹ 7,378 करोड़ थी जो कि कुल अनुदान/विनियोग का 11.72 प्रतिशत थी। जबकि वर्ष 2015-16 में एम.ओ.ई.एस. में 18.14 प्रतिशत का उल्लेखनीय अव्ययित बजट था, वर्ष 2016-17 में एम.ओ.डब्ल्यू.आर.आर.डी. एंड जी.आर. में 27.09 प्रतिशत का उल्लेखनीय अव्ययित बजट था।

कुल बचत ₹ 7,378 करोड़ में से, अधिकतम एम.ओ.डब्ल्यू.आर.आर.डी. एण्ड जी.आर. (27.09 प्रतिशत) तथा एम.एन.आर.ई. (22.44 प्रतिशत) में थे।

1.5 स्वायत्त निकायों की लेखापरीक्षा

नौ वैज्ञानिक एवं पर्यावरण मंत्रालयों/विभागों के अंतर्गत 14 स्वायत्त निकाय हैं जिनके लेखों पर पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (एस.ए.आर.) भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक (कर्तव्यों, अधिकार और सेवा शर्तों) अधिनियम, 1971 की धारा 19(2) एवं 20(1) के अंतर्गत तैयार किए जाने है। इन 14 स्वायत्त निकायों को 2016-17 के दौरान जारी किया गया कुल अनुदान, ₹ 5,421.84 करोड़ (पूर्ववर्ती वर्ष के अव्ययित अनुदानों को शामिल करते हुए) था, जैसा कि विस्तार से तालिका 1.2 में दिया गया है।

तालिका 1.2 : केन्द्रीय स्वायत्त निकायों को जारी अनुदान

(₹ करोड़ में)

	स्वायत्त निकाय	मंत्रालय/विभाग	2016-17 के दौरान जारी की गई अनुदान की राशि
1)	विज्ञान एवं अभियांत्रिकी अनुसंधान बोर्ड, नई दिल्ली	डी.एस.टी.	767.00
2)	श्री चित्रा तिरुनल आयुर्विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, तिरूवनन्तपुरम	डी.एस.टी.	160.93
3)	प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड, नई दिल्ली	डी.एस.टी.	30.30
4)	वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली	डी.एस.आई.आर.	589.87
5)	भारतीय पशु कल्याण बोर्ड, चेन्नई	एम.ओ.ई.एफ.सी.सी.	3.70
6)	केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण, नई दिल्ली	एम.ओ.ई.एफ.सी.सी.	10.93
7)	राष्ट्रीय जैव विवधता प्राधिकरण, चेन्नई	एम.ओ.ई.एफ.सी.सी.	18.69
8)	राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, नई दिल्ली	एम.ओ.ई.एफ.सी.सी.	7.41
9)	भारतीय वन्य जीव संस्थान, देहरादून*	एम.ओ.ई.एफ.सी.सी.	26.50
10)	बेतवा नदी बोर्ड, झांसी	एम.ओ.डब्ल्यू.आर.आर.डी. एंड जी.आर.	26.10
11)	ब्रह्मपुत्र बोर्ड, गुवाहाटी	एम.ओ.डब्ल्यू.आर.आर.डी. एंड जी.आर.	71.39
12)	नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण, इंदौर	एम.ओ.डब्ल्यू.आर.आर.डी. एंड जी.आर.	21.68
13)	राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, नई दिल्ली	एम.ओ.डब्ल्यू.आर.आर.डी. एंड जी.आर.	3,612.51
14)	राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी, नई दिल्ली	एम.ओ.डब्ल्यू.आर.आर.डी. एंड जी.आर.	74.83
	कुल		**5,421.84**

स्रोतः स्वायत्त निकायों के 2016-17 के पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन/वार्षिक लेखे
**वर्ष 2016-17 से आगे के खातों की लेखापरीक्षा को सौंपा जाना प्रतिक्षित है।*

इसके अतिरिक्त, सी.&ए.जी. (डी.पी.सी.) अधिनियम, 1971 की धारा 14 व 15 के अंतर्गत स्वायत्त निकायों की अनुपालन लेखापरीक्षा भी की जाती है। 56 स्वायत्त निकायों को वर्ष 2016-17 के दौरान जारी किया गया कुल अनुदान ₹ 4,265.67 करोड़ था। विवरण ***परिशिष्ट I*** में दिया गया है।

1.5.1 लेखों की प्रस्तुति में विलम्ब

सभा पटल पर रखे गए दस्तावेजों से संबंधित समिति का अपना प्रथम प्रतिवेदन (पाँचवीं लोकसभा) 1975-76 तथा सामान्य वित्तीय नियम (जी.एफ.आर.) 2017 का नियम 237 यह बताता है कि वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात, प्रत्येक स्वायत्त निकाय को अपने लेखों को तीन महीने की अवधि के अंदर पूर्ण कर लेना चाहिए और उनको लेखापरीक्षा के लिए उपलब्ध करवाना चाहिए और वार्षिक प्रतिवेदन और लेखापरीक्षा किए गए लेखों को वित्तीय वर्ष की समाप्ति के नौ महीनों के अंतर्गत संसद के समक्ष प्रस्तुत करना चाहिए।

14 स्वायत्त निकायों में से तीन स्वायत्त निकायों[1] ने एक महीने या अधिक के बाद वर्ष 2016-17 के लिए उनके लेखे प्रस्तुत किए।

1.6 बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्र

मंत्रालयों और विभागों को अनुदानियों जैसे कि वैधानिक निकायों, गैर-सरकारी संस्थानों इत्यादि से अनुदानों की उपयोगिता का प्रमाण-पत्र प्राप्त करना जरूरी है, जो इंगित करे कि अनुदानों को जिन उद्देश्यों के लिए स्वीकृत किया गया था, उन्हीं के लिए इनका उपयोग किया गया था और जहां अनुदान सशर्त थे, वहाँ निर्धारित शर्तों की पूर्ति की गई। नौ मंत्रालयों/विभागों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, मार्च 2016 तक दिए गए अनुदानों के संबंध में, कुल ₹ 22,421.79 करोड़ के 65,182 उपयोगिता प्रमाण-पत्र (यू.सी.) जो कि मार्च 2017 तक देय थे, प्राप्त नहीं हुए थे, जिन्हें तालिका 1.3 में दर्शाया गया है।

[1] प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड, नई दिल्ली; राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, नई दिल्ली तथा नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण, इंदौर।

तालिका 1.3 : बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्रों की स्थिति 31 मार्च 2017 तक

मंत्रालय/विभाग	मार्च 2016 तक जारी अनुदान के लिए			
	संख्या	कुल बकाया यू.सी. के हिस्से का प्रतिशत	राशि (₹ करोड़ में)	कुल बकाया यू.सी. से संबंधित राशि के हिस्से प्रतिशत
1) डी.ए.ई.	1865	2.9	172.57	0.8
2) डी.बी.टी.	21,043	32.3	5,589.65	24.9
3) डी.एस.टी.	35,224	54.0	10,427.01	46.5
4) डी.एस.आई.आर.	869	1.3	1,373.27	6.1
5) डी.ओ.एस.	261	0.4	11.97	0.1
6) एम.ओ.ई.एस.	857	1.3	240.80	1.1
7) एम.ओ.ई.एफ.सी.सी.	4,027	6.2	469.62	2.1
8) एम.एन.आर.ई.	769	1.2	1,845.14	8.2
9) एम.ओ.डब्ल्यू.आर.आर.डी. एंड जी.आर.	267	0.4	2,291.76	10.2
कुल	**65,182**	**100.00**	**22,421.79**	**100**

उक्त तालिका से देखा जा सकता है कि बकाया यू.सी. की अधिकतम संख्या, डी.एस.टी. और डी.बी.टी. से संबंधित है।

बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्रों की मंत्रालय/विभागवार स्थिति ***परिशिष्ट II*** में दी गई है। विलम्ब की अवधि के संबंध में पांच साल से अधिक के लिए बकाया यू.सी. की अधिकतम संख्या और मूल्य, डी.एस.टी. में देखे गए।

1.7 विभागीय तौर पर प्रबंधित सरकारी उपक्रम-प्रोफॉर्मा लेखों की स्थिति

सामान्य वित्तीय नियम, 2005 के नियम 84 में निर्धारित है कि वाणिज्यिक या अर्द्ध-वाणिज्यिक प्रकृति के विभागीय तौर पर प्रबंधित सरकारी उपक्रम ऐसे सहायक लेखे और प्रोफॉर्मा लेखे तैयार करेंगे, जैसा कि सरकार द्वारा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की सलाह से निर्धारित किए गए हों। इसमें उपयुक्त विनिर्माण, लाभ और हानि खाता और बैलेंस शीट शामिल है।

31 मार्च 2017 तक वाणिज्यिक या अर्द्ध-वाणिज्यिक प्रकृति के डी.ए.ई. के तहत दो विभागीय तौर पर प्रबंधित सरकारी उपक्रम अर्थात् नाभिकीय ईंधन सम्मिश्र, हैदराबाद (एन.एफ.सी.) तथा भारी पानी बोर्ड, मुंबई (एच.डब्ल्यू.बी.) थे। इन उपक्रमों के वित्तीय

परिणाम प्रोफॉर्मा लेखे जिसमें सामान्यतया ट्रेडिंग लेखा, लाभ एवं हानि लेखा और तुलन पत्र शामिल है, के द्वारा प्रतिवेदित किए जाते हैं।

2010-11 तक के वर्ष के लिए एन.एफ.सी. के प्रोफॉर्मा लेखों की लेखापरीक्षा पूर्ण हो गई थी। वर्ष 2011-12 और 2012-13 के लिए प्रोफॉर्मा लेखे अपूर्ण पाए गए क्योंकि इसमें डी.ए.ई. ने आयातित ईंधन की दर को शामिल नहीं किया था। इस मामले को डी.ए.ई. के सामने लाया गया तथा अगस्त 2017 तक इस संदर्भ में निर्णय प्रतीक्षित था। 2012-13 तक की अवधि के लिए एच.डब्ल्यू.बी. के प्रोफॉर्मा लेखे, लेखापरीक्षा के लिए प्राप्त हुए। इसके बाद के वर्षों के लेखे, लेखापरीक्षा के लिए प्राप्त नहीं हुए।

1.8 केन्द्रीय लोक क्षेत्र उद्यमों की लेखापरीक्षा

कंपनी अधिनियम के प्रावधानों (कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार सरकारी कंपनी समझे जाने वाली कंपनी भी शामिल है) के तहत स्थापित सरकारी कंपनियों के खातों की कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 14316) के तहत भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (सी. एण्ड ए.जी.) द्वारा लेखापरीक्षा की जाती है। कंपनी अधिनियम के तहत सी एण्ड एजी द्वारा नियुक्त वैधानिक लेखा परीक्षकों (चार्टर्ड एकाउटेंट) द्वारा प्रमाणित खाते सी. एण्ड ए.जी. की पूरक लेखापरीक्षा के अधीन हैं, जिनकी टिप्पणियाँ वैधानिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के पूरक हैं। इसके अलावा, यह कंपनियां सी. एण्ड ए. जी. द्वारा लेखापरीक्षा के भी अधीन हैं।

नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्यों, अधिकार और सेवा की शर्तों) अधिनियम, 1971 की धारा 19-ए के प्रावधानों के तहत निगम या सरकारी कंपनी के खातों के संबंध में रिपोर्ट सी. एण्ड ए. जी. द्वारा सरकार को प्रस्तुत की जाती है।

वर्ष 2016-17 के लिए नौ वैज्ञानिक और पर्यावरण मंत्रालयों/विभागों के तहत 25 सी.पी.एस.ई. थे जिनकी कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) के तहत लेखापरीक्षा की गई। इन कंपनियों की एक सूची ***परिशिष्ट III*** में दी गई है।

1.9 हानियाँ और न वसूल होने वाली देयताओं को अपलिखित/माफ करना

सात मंत्रालयों/विभागों द्वारा प्रस्तुत 2016-17 के दौरान अपलिखित/माफ की गई हानियों और न वसूल हो सकने वाली देयताओं को इस प्रतिवेदन के ***परिशिष्ट IV*** में दिया गया है। डी.ए.ई. और डी.ओ.एस. में, ₹ 16.96 लाख की कुल राशि को 30 मामलों में 'अन्य कारणों' के लिए अपलिखित किया गया।

1.10 प्रारूप लेखापरीक्षा पैराग्राफों पर मंत्रालयों/विभागों का प्रत्युत्तर

लोक लेखा समिति की अनुशंसाओं पर वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) ने सी&ए.जी. के प्रतिवेदन में सम्मिलित करने के लिए प्रस्तावित प्रारूप लेखापरीक्षा पैराग्राफों के प्रत्युत्तर छह सप्ताह के भीतर भेजने के निर्देश सभी मंत्रालयों को जून 1960 में निर्गमित किए थे। यह समय-सीमा नियंत्रक महालेखापरीक्षक द्वारा निर्मित लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 के पैरा 207(1) के अंतर्गत भी निर्धारित की गई है।

प्रारूप पैराग्राफों को संबंधित मंत्रालयों/विभागों के सचिवों को लेखापरीक्षा जाँचों की ओर उनका ध्यान दिलाने के लिए प्रेषित किया जाता है और उनसे निवेदन किया जाता है कि वे अपने प्रत्युत्तर छह सप्ताह के भीतर भेजें। इस प्रतिवेदन में सम्मिलित करने के लिए प्रस्तावित प्रारूप पैराग्राफों को संबंधित सचिवों को जून 2017 और नवम्बर 2017 के बीच उनको व्यक्तिगत रूप से संबोधित पत्रों के माध्यम से प्रेषित किया गया था।

इस प्रतिवेदन में 20 पैराग्राफ हैं। केवल तीन पैराग्राफों के संबंध में, संबंधित मंत्रालयों/विभागों से उत्तर प्राप्त हुए थे। प्राप्त प्रत्युत्तर प्रतिवेदन में उपयुक्त रूप से सम्मिलित किए गए हैं।

1.11 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्यवाही

लोक लेखा समिति ने 22 अप्रैल 1997 को संसद में प्रस्तुत अपनी नवीं रिपोर्ट (ग्याहरवीं लोकसभा) में अनुशंसा की थी कि 31 मार्च 1996 को समाप्त होने वाले वर्ष के उपरांत की लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों से संबंधित सभी पैराग्राफों पर लेखापरीक्षा द्वारा पुनरीक्षित कृत कार्यवाही टिप्पणियाँ (ए.टी.एन.) संसद में लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करने के चार महीनों के भीतर उन्हें प्रस्तुत की जाए।

वैज्ञानिक एवं पर्यावरण मंत्रालयों/विभागों से संबंधित सी.&ए.जी. के प्रतिवेदनों में सम्मिलित पैराग्राफों पर बकाया ए.टी.एन. की समीक्षा से पाया गया कि 31 दिसम्बर 2017 तक छः मंत्रालयों/विभागों से कुल सात ए.टी.एन. (विवरण ***परिशिष्ट V-क*** में) पहली बार भी प्राप्त नहीं हुए थे। इसके अलावा, तीन मंत्रालयों/विभागों के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत सी.पी.एस.ई. से संबंधित दो ए.टी.एन. पहली बार भी प्राप्त नहीं हुए थे (विवरण ***परिशिष्ट V-ख*** में)। साथ ही, दिसम्बर 2017 तक सात मंत्रालयों/विभागों के 39 पैरा से संबंधित पुनरीक्षित ए.टी.एन. भी आठ महीनों तक की अवधि से लंबित थे ***(परिशिष्ट VI)***।